न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :— बनाम प्रतिवादीगण :—

1. नाथूराम पुत्र पूराराम जाट
2. धनाराम पुत्र पूराराम जाट
3. दीपाराम पुत्र पूराराम जाट
4. हणमानराम पुत्र पूराराम जाट
5. रूघाराम पुत्र पूराराम जाट
   निवासी सौलायां तह. नांवा

1. मंदिर श्री रूघनाथ जी वाके सौलायां जरिये पुजारी।
2. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषण।

उपस्थित :— श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादी

मुकदमा नम्बर :— 94 / 2004 निर्णय दिनांक :— 07.02.2018

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम सौलायां के गत खसरा नम्बर 30 रकबा 69—11 बीघा भूमि स्थित हैं जिसके वर्तमान भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, 242 कुल रकबा 11.25 हैक्टयर भूमि अंकित हुऐ हैं गत खसरा नम्बर 130 की सम्पूर्ण भूमि वक्त जागीर एवं मारवाड़ टिनेंसी एक्त 1949 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के वक्त पूराम पुत्र लिछमण, लिछमण पुत्र बालू, माना पुत्र नन्दा जाट सा. देह जायज कृषक खातेदार रहे हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लादू होने पर उन्हें खातेदार काश्तकार अभिलिखित कर दिया था तब से लागातार बहैसियत खातेदारी कृषक उक्त भूमि पर काबिज रहे तथा मिसल बन्दोबस्त 2008 से 2027 कायम हुई जिसमें उक्त व्यक्तियो को खातेदार दर्ज किया गया हैं वादीगण के पूर्वज सम्वत 2010 से 2031 तक बहैसियत खातेदार रहे हैं लेकिन मौके पर भौतिक कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
नांवां

मौके पर पूराराम पुत्र लिछमणराम जाट का वक्त जागीर के समय से रहा हैं जिसका निरन्तर गिरदावरी में इन्द्राज दर्ज होता रहा हैं लिछमणराम व मानाराम ने आपसी सहमति से सिर्फ खातेक में नाम होने एवं भौतिक रूप से कब्जा पूराराम पुत्र लिछमणराम का होने से सम्पूर्ण भूमि का खाता अकेले पूराराम के नाम दर्ज किया गया हैं सम्वत 2032 से 2039 तक पूराराम सम्पूर्ण भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहा है सम्वत 2039 के बाद खातेदार पूराराम का देहान्त हो जाने पर जरिये उत्तराधिकारी वादीगण को नामान्तकरण संख्या 88 के खातेदर दर्ज रिकार्ड किया गया हैं। तत्पश्चात वर्तमान भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा वादीगण की खातेदारी इन्द्राज को हटा कर किसी भी प्रकार के सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रतिवादी 1 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड कर दी गई भू प्रबन्ध विभाग को वादीगण की खातेदारी खत्म करने का अधिकार नहीं था जिसके बावजूद अपने अधिकारो से बाहर जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण की अभिलिखित खातेदारी को हटा दिया गया। वादीगण अनपढ़ व ग्रामिण परिवेश के व्यक्ति हैं जिनको कानून की स्थिति व रिकार्ड की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण देरी से उक्त इन्द्राज की जानकारी हुई है। जिससे वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम सौलाया के खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, 242 कुल रकबा 11.25 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 की ओर से प्रतिवादी 2 राजपैरोकार ने जवाब पेश कर बताया हैं कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 के कॉलम संख्या 3 में डोली बनाम मंदिर रघुनाथ जी भगवान दर्ज रिकार्ड हैं तथा कृषक के कॉलम में पूरा वल्द लिछमण, लिछमण वल्द बालू एवं माना वल्द नन्दा जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिर्काड हैं जमाबन्दी सम्वत 2012–2019 तक खातेदारी के कॉलम में डोली बनाम मंदिर रघुनाथ जी का नाम दर्ज रिकार्ड रहा हैं तथा उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर रघुनाथ जी की होने से भूमि की खातेदारी मंदिर के नाम भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सही दर्ज की गई हैं जिससे वादीगण का वाद खारिज किया जावे। तत्पश्चात वाद में तनकीयात कायम की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे साक्ष्य बन्द की जाकर बहस सुनी गई। दोनों ही पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने के

उपखण्ड अधिकारी
नावां

चलते तनकीवार निर्णय नहीं किया जाकर पत्रावली में उलब्ध रिकार्ड के आधार पर निर्णय इस प्रकार से हैं।

वाद में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी प्रथम मिलस बन्दोबस्त सम्वत 2008—2027 में ग्राम सौलायां के खसरा नम्बर 130 रकबा 69—11 बीघा भूमि कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में डोली बनाम मंदिर श्री रूघनाथ जी भगवान बऐतमाम पुजारी घनश्यामदास चैला रामेश्वरलाल कौम ब्राहम्ण सा. देह तथा नाम कृषक कॉलम संख्या 4 में पुरा वल्द लिछमण, लिछमण वल्द बालू, माना वल्द नन्दा कौम जाट सा. देह दर्ज रिकार्ड हैं, जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2014 में खसरा नम्बर 130 रकबा 69—11 बीघा भूमि की खातेदारी डोली मंदिर तथा कृषक के विवरण में पूरा पुत्र लिछमण , लिछमण पुत्र बालू , माना पुत्र नन्दा कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिर्काड हैं जो सम्वत 2019 तक लगातार दर्ज रिकार्ड हैं तथा सम्वत 2028—2031 में कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी में राज. सरकार एवं कॉलम संख्या 5 में पूरा वल्द लिछमण, लिछमण वल्द बालू, माना पुत्र नन्दा जाति जाट दर्ज रिकार्ड हैं एवं सम्वत 2032—2035 में उक्त भूमि की खातेदारी पूरा वल्द लिछमण जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं जो सम्वत 2039 तक यथावत दर्ज रिकार्ड हैं तत्पश्चात सम्वत 239—2041 में खातेदार पूरा वल्द लिछमण फौत होने पर जरिये नामान्तकरण संख्या 88 के तहत वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड की गई हैं। जिसके बाद तहसील नांवा का भू प्रबन्धक विभाग द्वारा भू प्रबन्ध कार्य किया गया जिसमें उक्त विवादित गत खसरा नम्बर 130 के नये खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, 242 कुल रकबा 11.25 हैक्टयर कायम किऐ गये तथा खातेदारी से खातेदारो का नाम हटा कर ग्राम सौलाया में मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज की अन्य भूमियां जिनके खसरा नम्बर 5, 21, 22, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 61, 84, 93, 94, 95, 147, 148, 158, 185, 189, 225, 303/50 कुल रकबा 47.41 के साथ दर्ज करते हुऐ मंदिर की भूमि का कुल रकबा 58. 66 हैक्टयर कायम कर दिया गया। वादीगण ने वाद के साथ गिरदावरी नकल सम्वत 2010 से 2035 तक की पेश की हैं जिसमें सम्वत 2010 से 2013 में मंदिर की खुद काश्त दर्ज नहीं होकर काश्त पूरा वल्द लिछमण जाट के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जो सम्वत 2035 तक बदस्तुर दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। गिरदावरी में कही पर भी मंदिर की खुद काश्त में दर्ज रिकार्ड नहीं रही है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय मंदिर मूर्ति श्री नियामाजी बनाम स्टेट

उपखण्ड अधिकारी
नांवा

आफ राजस्थान एवं अन्य 2003 आर.आर.डी. 71 में प्रतिपादित निर्णय में अभिलिखित किया हैं कि धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधन भूतलक्षी प्रभावशील नहीं हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15.10.1955 से प्रभाव में आया और तभी से धारा 46 का प्रावधान प्रभावशील हैं। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने वाले दिन विवादग्रसत आराजी मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त में नहीं थी जिसमें माणक पुत्र बख्शु खाती उप कृषक था तथा विवादित अराजीय मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त में नहीं थी तो इस मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों लागू नहीं होते है। प्रश्गत इस प्रकरण में भी जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 में ग्राम सौलायां के खसरा नम्बर 130 पूरा वल्द लिछमण, लिछमण पुत्र बालू , माना पुत्र नन्दा जाट खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं गिरदावरी सम्वत 2010--2013 में भी उक्त विवादित भूमि पुरा वल्द लिछमण जाट की काश्त दर्ज रिकार्ड हैं इस प्रकरण में भी जागीर रिज्यम होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही हैं जिसमें धारा 46 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी समय समय पर परिपत्र एवं दिशानिर्देश जारी किऐ हैं हाली में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने परिपत्र कमांकः राम / प--63 / न्याय / स्था / 05 / 636--689 दिनांक 06 जनवरी 2010 को परिपत्र निकाला हैं जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिकार अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के वक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखित भूमियों में काबिज काश्तकार के खातेदारी अर्जित होने अथवा नही होने के सम्बन्ध स्पष्ट किया गया हैं कि मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारो के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरो के अधिगृहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटेदार अथवा खादिमदार आदि केनाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्वत नहीं हैं ऐसे लोगो का नाम निरन्तर राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। पूर्व परिपत्र कमांक 4--3(2)राज. 6 / 2007 / 44 दिनांक 24.05.2007 में मंदिर भूमियों की समुचित व्यवस्थार्त जारी किया गया हैं

उपखण्ड अधिकारी
नावां

जिसमें भी जागीरो के अधिगृहण के समय मंदिर की भूमि मंदिर की खुद काश्त में नहीं होकर अन्य खातेदार एवं उप कृषक के काश्त में दर्ज भूमियों को पुनः मंदिर के नाम दर्ज नहीं किए जाने के निर्देश माननीय राजस्व मण्डल ने दिये हैं, जो इस प्रश्गत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं क्योंकि उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयत सम्वत 2012 से ही पूरा पुत्र लिछमण वगैराह की खातेदारी व खुद काश्त में दर्ज रिकार्ड थी, तत्पश्चात लागातार दर्ज रिकार्ड रही हैं जिसके बाद वर्तमान भू -- प्रबन्ध वर्ष 1986--87 में खातेदार का नाम हटा कर पुनः मंदिर के नाम दर्ज कर दी गई जो विधिवत सम्पत नहीं हैं न ही सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार था। जिससे वादीगण का यह वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता हैं कि ग्राम सौलाया के खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, 242 कुल रकबा 11.25 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदनुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिकी पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लाम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा